185

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 द्वितीय अपील

III/अपील/मुरैना/भू.रा./2017/2698

1. लल्ला सिंह पुत्र श्री तिलक सिंह आयु–36 वर्ष, व्यवसाय–खेती
2. रघुराज सिंह पुत्र श्री द्वारिका सिंह
3. राम निवास पुत्र श्री परमाल सिंह
4. लोकेन्द्र पुत्र श्री बलवंत सिंह
5. बच्चू पुत्र श्री रामदयाल सिंह

समस्त निवासीगण–ग्राम छुलावद तहसील जौरा जिला मुरैना

..........अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना म0प्र0
2. सरपंच ग्राम पंचायत बागचीनी जिला मुरैना म0प्र0
3. सचिव ग्राम पंयायत बागचीनी तहसील जौरा जिला मुरैना म0प्र0

.........प्रतिअपीलार्थीगण

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 26.07.2017 अपर आयुक्त महोदय चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 299/2016–17 अपील में पारित।

श्रीमान् जी,

अपीलार्थीगण की ओर से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, राजस्व ग्राम छुलावद का ही मजरा लखुआपुरा है लखुआपुरा की आबादी केवल 81 सदस्यों की है लुखआपुरा जो पुरा है वह लखुआ एवं श्रीरविलास एक ही परिवार के दो व्यक्तियों से बना हुआ पुरा है लखुआपुरा

आदेश की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / मुरैना / भू0राज0 / 2017 / 2698

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–10–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 27–10–2017 के विरूद्ध 02 वर्ष 07 माह विलम्ब से अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में विलम्ब के संबंध में विस्तार से विवेचना यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक ने विलम्ब के संबंध में कोई ठोस समाधानकारक कारण नहीं बताया है। दिन–प्रतिदिन विलम्ब का समानधानकारक कारण दर्शाये जाने पर अपील को समय–सीमा में मान्य किया जा सकता है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होने से निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	